मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम (GMVN) लि0 देहरादून द्वारा सौंग नदी लॉट नं–7/2 में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 29.08.2014 (प्रातः 11.00 बजे) स्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डोईवाला, देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा सौंग नदी लॉट नं–7/2 में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

दिनांक 30.06.2014 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में **औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डोईवाला, देहरादून** में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून द्वारा सौंग नदी में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 30.07.2014 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 गढ़वाल मण्डल विकास निगम के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि श्री विवेक कुमार. द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 135.856 है0 है। जो कि ग्राम डोईवाला, मिस्सरवाला खुर्द, देशवाला, घिस्सरपड़ी, फतेहपुर टांडा तथा मरखान ग्रांट, तहसील ऋषिकेश, तथा देहरादून, जिला देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः सरकारी भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल मण्डल विकास निगम को लीज पर दिया गया है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। श्री विवेक कुमार द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का गठन किया जायेगा। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से रू0 7.81 लाख के वार्षिक बजट का प्राविधान किया गया है, जिसका उपयोग जल छिड़काव, सड़कों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री हरभजन सिंह, निवासी डोईवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया तथा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि नदी में खनन न होने से नदी का स्तर ऊँचा हो गया है। बरसात में नदी में बाढ़ आने से सड़क, खेत, पेड़–पौधे बह जाते हैं। इसके अतिरिक्त नदी में पत्थरों के टकराने से अत्याधिक शोर उत्पन्न होता है, जिससे ग्रामवासी दहशत में रहते हैं तथा कई अन्य परेशानियों को सामना करना पड़ता है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के बीचोंबीच गहराई तक खनन किया जाये, जिससे नदी का स्तर सामान्य रहेगा, जिससे बाढ़ का खतरा कम होगा।

2. **श्री राजन गोयल, निवासी भानियावाला** द्वारा लोंकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। खनन न होने से नदी का स्तर ऊँचा हो गया है, जिससे भूमि के कटाव के साथ–साथ बाढ़ का पानी रिहायसी इलाकों की तरफ आ गया है, जिससे कई गांवों का अत्याधिक नुकसान उठाना पड़ा है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया और सुझाव दिया गया कि खनन कार्य से पूर्व रास्तों का निर्माण तथा छोटे रास्तों को चौडा किया जाये। इसके अतिरिक्त खनन कार्य के दौरान नहरों को बन्द न करें बल्कि उनको पक्का किया, जिससे क्षेत्रवासियों को सिंचाई कार्य में रूकावट उत्पन्न न हो। साथ ही खनिज सामग्री में लगे वाहनों हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाये।

3. **मोहन कुमार, निवासी मिस्सरवाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन कार्य में क्षेत्रवासियों को रोजगार प्राप्त हो। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए।

4. **अमित उनियाल, निवासी मिस्सरवाला, डोईवाला** द्वारा कहा गया कि नदियों में अवैध खनन होने से जान–माल का का खतरा बना रहता है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए एवं अवैध खनन बन्द किया जाना चाहिए।

5. **लाखन सिंह, निवासी डोईवाला** द्वारा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी और कहा गया कि खनन होने से गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा तथा मकान आदि के निर्माण हेतु खनन सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध होगी।

6. **श्री सुशील शर्मा, निवासी डोईवाला** द्वारा कहा गया कि नदी में खनन न होने से नदी का स्तर मकानों की सतह तक आ गया है तथा पानी बस्ती की तरफ बहने लगा है, जिससे मकानों को बहुत क्षति पहुंची है। इसलिये नदियों में खनन होना बहुत ही आवश्यक है।

7. **श्री बीर सिंह, निवासी फतेहपुर** द्वारा कहा गया कि खनन न होने से गरीब जनता बेरोजगार हुई है और सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। उनके द्वारा कहा गया कि खनन खुलने से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा।

8. **श्री डब्बल सिंह भण्डारी (उपाध्यक्ष, जिला पंचायत देहरादून) निवासी डोईवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और नदियों में खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी कहा गया कि यदि नदी में खनन नहीं होगा तो नदी का स्तर ऊँचा हो जायेगा, जमीन का कटाव होगा, जिससे नदी का पानी गांव की तरफ बहेगा, जिससे अत्याधिक जान–माल का खतरा होगा। उनके द्वारा लोक सुनवाई का समर्थन किया गया। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के बीच से खनन किया जाए तथा किनारों पर खनन कार्य न किया जाए, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि खनन खुलने से गरीब मजदूरों को रोजगार के साथ–साथ सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि से किया जायेगा एवं खनन का कार्य अग्रतर बोली के माध्यम से स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्राविधान है। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किया जायेगा। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य राज्य सरकार की भूमि पर किया जाना है। किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की खनिज नीति के अनुसार स्थानीय निवासियों को खनिज पट्टे अन्तरित किये जाने की प्राथमिकता का प्राविधान है। खनन कार्य के दौरान माल वाहक वाहनों के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन

कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो। अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

(सुनील डबराल)	(सुभाष पंवार)	29.9.14 (प्रताप सिंह शाह)
अनु0 सहा0	अ0 अभियन्ता	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) देहरादून

DATE 29 08 2014

सौंग नदी के लाट संख्या 7/2 में चुगान / खनन हेतु दिनांक 29/08/2014 (प्रातः 10:00) स्थान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, डोईवाला सौंग नदी के पुल के निकट लोक सुनवाई में उपस्थित मा0 जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पंजिका

क्रम0	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
(1)	श्री0 प्रताप सिंह शाह (Adm A/R)	जिला प्रशासन देहरादून	9756665555	
(2)	श्री0 सुभाष पंवार (अ0 अभि0)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	9410393541	
(3)	श्री0 सुनिल उनियाल (अनु0 सहा0)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून	963483784	
(4)	एम0 सी0 तिवारी	आई0 टी0 आई0 डोईवाला	9927222640	
(5)	एस0 एन0 उनियाल प्र0	आई टी आई डोईवाला	9410359131	
(6)	सुनीता चौधरी (अनु0)	"	8126092329	
(7)	शकुन्तला -	"	"	शकुन्तला
(8)	शान्ति देवी	केशवपुरी	"	शान्ति देवी
(9)	आर0 एस0 तिवारी	आई0 टी0 आई0 डोईवाला	9358121924	
(10)	गोवर्धन मसंगाई	मिस्सरवाला	9755268680	गोवर्धन
(11)	राकेश डंगवाल	मिस्सरवाला	9411310286	
(12)	अनिल उनियाल	डोईवाला	9412951751	
13	रणधीर सिंह	डोईवाला	8449612915	
14	आलम सिंह	डोईवाला	9927876019	

DATE

नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
15 ओमप्रकाश	डोईवाला, केशवपुरी		ओमप्रकाश
16. Subhash pant	डोईवाला, केशवपुरी	7830433518	[signature]
17. ग्रा०पं० सदस्य सुशील शर्मा	डोईवाला केशवपुरी	893697254	सुशील शर्मा
18. मनोज	डोईवाला केशवपुरी		मनोज
~~19 Jocky~~	~~डोईवाला देहरादून~~		
19 Jocky	Doiwala D.dn.	9897161799	[signature]
(20) गणेश सहानी	डोईवाला केशवपुरी	953629968	[signature]
(21) राम बाबू	डोईवाला केशवपुरी	—	[signature]
22 सुमित्रा देवी	डोईवाला केशवपुरी	—	सुमित्रा दे
23 Gopal Singh	Doiwala D.Dun		[signature]
24 संदीप पाल	मार्जरी (केशवपुरी)	9897520286	Sandeep
24 K.S. Kalura Sponsor	G.M.V.N Khana	9411139392	[signature]
25 N.S. Chau.	G.M.V.N. U	9997769[illegible]	[signature]
26 मोहित गर्ग	आयुक्त को प्रमुख डोईवाला		MG
27 शेरा सिंह	Doiwala Keshavpuri	—	
28 अंजना सहनी	Doiwala (Keshvpuri	—	
29 राजेन्द्र सहनी	Doiwala (Keshvpuri	9997936558	[signature]
30 राजकुमार	Doiwala Kashopuri	8126123620	[signature]
31 राम बाबू	Doiwala Kashiwpuri		[signature]
32 दिनेश सहनी	Doiwala Kashopuri		दिनेश
33 राम कुमार			
34 कैलाश	वडोवाला	9756601053	Kb
35 सैरा आर्य	डोईवाला	9897246555	[signature]
36 संजय कुमार	रवन्ना डोईवाला		संजय कुमार
37 हरभजन सिंह	मिल रोड डोईवाला	9897076[illegible]	[signature]
38 राजन गोयल	मानीमाजरा	9412056422	[signature]
39 राजेश कुमार पाल	श्याम मार्ग	9897289589	[signature]
40 Anju Pal	श्याम मार्ग	7895577663	[signature]

नाम व पता	पता	फोन नं०	हस्ताक्षर
41- Naveen Singh	माणिक्य वाला	7500708783	Naveen
42 भरोसे सहनी	डोईवाला	8006851483	
43 दिनेश राठी	ऋषिकेश		
44 अजय 9855 ईवाला	वैशोपुरी बस्ती		संजय सहनी
45 संजय सहनी		8923354457	
46 काले यादव	भैंसोपुरी बस्ती		
47 रामसेवक साहनी	डोईवाला सौंग 9458178144		
48 दिनेश साहनी	डोईवाला सौंग नदी	96757354	
49 नरेश साहनी	डोईवाला सौंग	7895047786	
50 प्रवीन कनौजिया	डोईवाला	9634763688	
51 श्रवण सहनी	डोईवाला		
शंभु सहनी	डोईवाला		
किशन सहनी	डोईवाला		
उमाशंकर	डोईवाला	7579 2430	
रामराज सहनी	डोईवाला		
			रामा
52 Vivek Kumar Gupta	GRC India Pvt	8373073834	[signature]
Asst manager	Noida		